

घोशणा पत्र

(मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना)

मैं _____ सुपुत्री / पत्नी श्री _____

निवासी _____ बोर्ड पंजीकरण संख्या _____
निम्नलिखित घोषणा करती हूँ:-

1. मेरे द्वारा साड़ी, सूट, चप्पल, बरसाती, छाता, सैनिटरी नैपकिन तथा रसोई बर्तन की खरीद दिनांक _____ को की गई है जिसकी कीमत _____/- रुपये है तथा दुकान का पता _____ एवं दुकान का संपर्क नंबर _____ है।
2. मैंने पिछले एक वर्ष में इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है तथा लाभ प्राप्ति के एक वर्ष बाद ही इस योजना के लिए दोबारा आवेदन करूंगी।
3. मैं आज भी भवन निर्माण कार्यों से जुड़ी हुई हूँ तथा बोर्ड की सक्रिय सदस्य हूँ तथा वेबसाइट पर मेरे द्वारा अपलोड की गई सूचना/दस्तावेज सही व अपडेटेड हैं।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं। इनमें से न तो कोई तथ्य गलत है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि उपरोक्त तथ्य किसी भी समय गलत पाये जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गई मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के लिए वित्तीय सहायता राशि को मैं लौटाने को बाध्य रहूंगी तथा मुझे अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित करने तथा मेरा पंजीकरण निरस्त करने का भी बोर्ड को अधिकार होगा।

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

तिथि:

मो0 नं0: _____